भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 162

जिसका उत्तर दिनांक 03.02.2022 को दिया जाना है

स्वदेशी दुर्लभ मृदा खनिजों का विकास

162 श्रीमती फूलो देवी नेतम :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दुर्लभ मृदा खनन क्षेत्र का आंशिक या पूर्ण रूप से निजीकरण करने की मंशा रखती है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भारत में दुर्लभ मृदा खनिजों के लिए स्वदेशी प्रसंस्करण इकाइयों में अंतर को कम करने और चीनी संसाधकों पर निर्भरता को कम करने की मंशा रखती है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने दुर्लभ मृदा खनिज क्षेत्र में भारत के रणनीतिक और वाणिज्यिक हित का समर्थन करने के लिए एक स्वदेशी लैब-टू-प्रोडक्ट पारिस्थितिकी का विकास करने हेतु कोई नीति तैयार की है या तैयार करने की मंशा रखती है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ.जितेंद्र सिंह) :

(क) तथा (ख) भारत में विरल मृदा (आरई) का प्रमुख अयस्क बीएसएम बालू है, जिसमें एक निर्धारित पदार्थ मोनाज़ाइट होता है । मोनाज़ाइट यूरेनियम, थोरियम और आरई का एक फॉस्फेट यौगिक है । रेडियोसक्रिय तत्वों से संबद्ध होने के कारण, खनन, प्रसंस्करण और शोधन को सरकारी नियंत्रण में रखा गया है और इस कार्य को परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के अधीन सीपीएसई द्वारा किया जाता है । रेडियोसक्रियता की मुक्ति के बाद, विरल मृदा ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के तहत स्वतंत्रता के बाद से निजी क्षेत्र सहित सभी के लिए उपलब्ध है । हालांकि, आज तक किसी भी निजी क्षेत्र ने इस क्षेत्र में रुचि नहीं दिखाई है । जैसा कि उद्योग में आरई उत्पादों अर्थात रक्षा, इलेक्ट्रिक वाहन और

हाइब्रिड वाहन, रोबोटिक्स, सीएनसी प्रौद्योगिकियां इत्यादि के लिए औद्योगिक मांग भारत में या तो फिलहाल नहीं हैं अथवा अपनी प्रारंभिक अवस्था में हैं । इसके अलावा, यह क्षेत्र निजी उद्यमियों के लिए बीएसएम के दोहन हेतु एक नीति तैयार कर 1998-2019 से खोला गया जिसमें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, एफडीआई लाने और मूल्य श्रृंखला में उद्योग स्थापित करने का अवसर प्रदान किया गया । हालाँकि, उपरोक्त में से कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ ।

(ग) तथा (घ) रेयर अर्थ में सत्रह तत्व होते हैं और इन्हें हल्के आरई तत्वों (एलआरईई) और भारी आरई तत्वों (एचआरईई) के रूप में वर्गीकृत किया गया है । कुछ आरई जो भारत में उपलब्ध हैं जैसे लैंथेनम, सेरियम, नियोडिमियम, प्रेजोडिमियम और समैरियम, आदि की आपूर्ति अधिशेष में हैं, जबकि डिस्प्रोसियम, टेरबियम, यूरोपियम जिन्हें एचआरई के रूप में वर्गीकृत किया गया है, वे भारतीय निक्षेपों में निष्कर्षणीय योग्य मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं । प्रयोगशाला पैमाने में अनुप्रयोगों के लिए एचआरईई का आयात अल्प मात्रा में है । अत: एचआरईई की केवल अल्प मात्रा हेतु ही चीन पर निर्भर है । सरकार देश के भीतर आरई की खपत के लिए क्षमता निर्माण पर सक्रिय रूप से काम कर रही है । इस संबंध में, हाल ही में, भारतीय उद्योगों, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों में आरई की खपत बढ़ाने के लिए, सरकार ने भारी उद्योग मंत्रालय के दिनांक 9 नवंबर, 2021 की अधिसूचना संख्या एस.ओ.4632 (ई) की मद संख्या 6 के माध्यम से एक पीएलआई योजना की घोषणा की है ।

(ङ) तथा (च) सरकार की रणनीतिक और वाणिज्यिक दोनों क्षेत्रों से घरेलू मांग को पूरा करने के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित करने की योजना है । भारत में आरई ऑक्साइडों/यौगिकों के खनन, प्रसंस्करण, निष्कर्षण, शोधन और उत्पादन के मामले में क्षमता और योग्यता पर्याप्त रूप से उपलब्ध है, जो रेडियो-सक्रिय तत्वों से जुड़े प्रचालन के कारण सरकारी नियंत्रण में है । स्वतंत्रता के बाद से निजी क्षेत्र सहित सभी के लिए रेडियोसक्रियता से मुक्त ऑक्साइड / यौगिकों के रूप में आरई उपलब्ध है । जहां तक प्रयोगशाला से उत्पादन स्तर तक परितंत्र का संबंध है, एक रेयर अर्थ थीम पार्क की स्थापना की जा रही है, जो प्रयोगशाला में प्रमाणित वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रायोगिक स्तर पर उन्नयन करेगा और वाणिज्यिक प्रचालन स्थापित करने हेतु इच्छुक उद्योगों के लिए प्रदर्शन करेगा । इसके अलावा, थीम पार्क भविष्य के कार्यबल को विकसित करने के लिए कौशल विकास गतिविधियों का भी संचालन करेगा । इसके अतिरिक्त, भारतीय संसाधनों से नियोडिमियम धातु (नियोडिमियम स्थायी चुंबक बनाने के लिए) का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए आद्यपर्वतनी मोड के तहत एक महत्वाकांक्षी उद्योग विकसित किया जा रहा है ।

* * * * *